कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 274/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 14.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक : 14 जुलाई, 2026
थाना सिधारी, जनपद : आजमगढ़

ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति फैलाने वाले युवक पर सिधारी पुलिस की कार्रवाई

इंस्टाग्राम गैंग के लीडर की अभिभावकों की मौजूदगी में काउंसलिंग, BNSS के तहत की गई विधिक कार्रवाई

युवाओं से सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने एवं सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने की अपील

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में संचालित **"ऑपरेशन वज्रपात"** के अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना **सिधारी पुलिस** द्वारा सोशल मीडिया की निगरानी के दौरान संज्ञान में आया कि कुछ युवक इंस्टाग्राम पर **"sr_mahatma_ji_0009_10k"** नामक आईडी के माध्यम से गैंग बनाकर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिससे आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना थी।

थाना सिधारी पुलिस द्वारा उक्त गैंग के लीडर **प्रिंस कुमार पुत्र अनिल राम**, निवासी **ग्राम बभनौली अड़ाई, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़**, उम्र लगभग **19 वर्ष** को चिन्हित कर थाना परिसर में उसके अभिभावकों की उपस्थिति में विस्तृत काउंसलिंग की गई। इस दौरान उसे कानून एवं शांति व्यवस्था, यातायात नियमों का पालन तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी गई।

उक्त युवक के विरुद्ध **धारा 170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)** के अंतर्गत विधिक कार्रवाई करते हुए चालान किया गया। साथ ही पुलिस द्वारा उसके अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों एवं सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता पर सतर्क निगरानी रखें तथा उन्हें कानून का सम्मान करने, अनुशासित जीवन अपनाने एवं सकारात्मक एवं रचनात्मक कार्यों में भागीदारी के लिए प्रेरित करें।

आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी एवं कानून के दायरे में रहकर करें। गैंग संस्कृति, हथियारों का प्रदर्शन, धमकीपूर्ण वीडियो अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 रंजन कुमार साव, रिक्रूट आरक्षी रफीक थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक : 14 जुलाई, 2026
थाना : मेहनाजपुर, जनपद : आजमगढ़

□ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को मेहनाजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के पर्यवेक्षण में मेहनाजपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।

दिनांक 13.07.2026 को थाना मेहनाजपुर क्षेत्र की निवासी एक युवती द्वारा तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि ग्राम मऊपरासिन निवासी सूरज चौहान पिछले लगभग चार वर्षों से शादी का झांसा देकर उसके साथ प्रेम संबंध बनाए हुए था तथा इसी दौरान उसने शारीरिक संबंध स्थापित किए। बाद में विवाह करने से इंकार करते हुए उसे धमकी भी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मेहनाजपुर पर **मु0अ0सं0- 69/2026, धारा 69 बीएनएस** पंजीकृत कर विवेचना उपनिरीक्षक प्रशान्त पाण्डेय द्वारा प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान आज दिनांक 14.07.2026 को अभियुक्त **सूरज चौहान पुत्र रजिन्दर चौहान निवासी ग्राम मऊपरासिन थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 28 वर्ष** को समय करीब **10:05 बजे** गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त- सूरज चौहान पुत्र रजिन्दर चौहान निवासी ग्राम मऊपरासिन, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ ।
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 69/2026, धारा 69 बीएनएस, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ ।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस नोट, दिनांक : 14.07.2026
परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण, जनपद आजमगढ़

'नई किरण' प्रोजेक्ट से बिखरते रिश्तों को मिला सहारा, 01 परिवार का सफलता पूर्वक समझौता कराया गया

परिवार परामर्श प्रकोष्ठ की सकारात्मक पहल, संवाद और समझाइश से सुलझे पारिवारिक विवाद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 14.07.2026 को थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ परिसर स्थित **परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण** की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कुल 04 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को फोन एवं नोटिस के माध्यम से सूचित कर मध्यस्थता (मिडिएशन) हेतु बुलाया गया था, जिनमें 03 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। काउंसलिंग एवं अथक प्रयासों के उपरांत सभी 01 प्रकरणों में पक्षकारों को समझा-बुझाकर आपसी मतभेद दूर कर समझौता कराया गया।
मध्यस्थता के दौरान प्राप्त प्रकरणों में आवेदिका के पति व ससुराल वालों द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से संबंधित शिकायतों पर दोनों पक्षों की बात सुनते हुए उन्हें आपसी संवाद, सहनशीलता एवं पारिवारिक मूल्यों के महत्व से अवगत कराया गया। सकारात्मक वातावरण में हुई काउंसलिंग के फलस्वरूप परिवारों में पुनः सामंजस्य स्थापित हुआ।
'नई किरण' प्रोजेक्ट का उद्देश्य पारिवारिक विघटन को रोकना, बिखरते रिश्तों को जोड़ना तथा परिवारों में आपसी सामंजस्य स्थापित करना है। यह पहल न केवल परिवारों को नई दिशा प्रदान कर रही है, बल्कि पारिवारिक न्यायालयों पर बढ़ते कार्यभार को कम करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है।
कुल समझौते- 01
1. सविता पुत्री स्व0 हरिनाथ ग्राम - समेदा, थाना - सिधारी, जनपद - आजमगढ़ ।
उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी-
उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी, उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता, महिला

आरक्षी नेहा सिंह परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण जनपद आजमगढ़।

आजमगढ़ पुलिस का 'नई किरण' प्रोजेक्ट बिखरते परिवारों को जोड़ने और सामाजिक सौहार्द को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रभावी एवं मानवीय पहल है।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक :14 जुलाई, 2026

थानामुबारकपुर :, जनपदआजमगढ़ :।

☐ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर सरकारी अभिलेखों के दुरुपयोग की साजिश का खुलासा

☐ नगर पालिका मुबारकपुर का आउटसोर्स कर्मचारी गिरफ्तार, डिजिटल हस्ताक्षर कूटरचित कर बनाया था फर्जी प्रमाण पत्र

☐ राशन कार्ड व अन्य सरकारी अभिलेखों में लाभ दिलाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था फर्जी जन्म प्रमाण पत्र

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में कूटरचना एवं सरकारी अभिलेखों के दुरुपयोग के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने फर्जी एवं कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर उसका दुरुपयोग कराने वाले नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के आउटसोर्स कर्मचारी **खुर्शीद पुत्र जफर अहमद** निवासी पूरारानी, थाना मुबारकपुर को गिरफ्तार किया है।

दिनांक 12.07.2026 को नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के जन्म/मृत्यु प्रभारी श्री रणविजय सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर पर **मु0अ0सं0- 258/2026** धारा **319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया। शिकायत में बताया गया कि मोहम्मद सैफ के नाम से जारी जन्म प्रमाण पत्र नगर पालिका परिषद द्वारा निर्गत नहीं किया गया था तथा उस पर कर्मचारी एवं अधिशासी अधिकारी के **फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर** अंकित कर उसे कूटरचित तरीके से तैयार किया गया था।

विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं वायरल ऑडियो की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विदेश में रह रहे मोहम्मद नईम ने अपने पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने भतीजे अब्दुल करीम के माध्यम से नगर पालिका के आउटसोर्स कर्मचारी खुर्शीद से संपर्क कराया। खुर्शीद ने आवश्यक अभिलेख एवं धनराशि लेकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर उपलब्ध कराया, जिसका उपयोग राशन कार्ड एवं अन्य सरकारी अभिलेखों में नाम दर्ज कराने के उद्देश्य से किया जाना था। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त द्वारा फर्जी डिजिटल हस्ताक्षरों का प्रयोग कर सरकारी दस्तावेज तैयार किए गए।

वांछित अभियुक्त की तलाश के दौरान दिनांक 14.07.2026 को थाना मुबारकपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर **रोडवेज तिराहा, मुबारकपुर** से अभियुक्त **खुर्शीद पुत्र जफर अहमद (उम्र लगभग 37 वर्ष)** को समय करीब **12:05 बजे गिरफ्तार** कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने पैसे के लालच में फर्जी एवं कूटरचित जन्म प्रमाण पत्र तैयार करने की बात स्वीकार की।

अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मामले में अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही है तथा विवेचना के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त- खुर्शीद पुत्र जफर अहमद, निवासी पूरारानी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 258/2026, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा, चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर, का0 हरेन्द्र सिंह, का0 कुलदीप सरोज, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक : 14 जुलाई, 2026

थाना : मुबारकपुर, जनपद : आजमगढ़

□ 100 किलो चोरी का लोहे का शटर बरामद, दो अभियुक्त गिरफ्तार

□ संगठित चोरी गिरोह का खुलासा, कबाड़ी की दुकान से हुई बरामदगी

□ चोरी की संपत्ति खरीदने वाले कबाड़ी पर भी कार्रवाई

दिनांक 11.07.2026 को वादी इन्द्रबली यादव पुत्र अयोध्या प्रसाद यादव निवासी ग्राम खुझियाँ, थाना मुबारकपुर की दुकान से अज्ञात चोरों द्वारा लगभग 100 किलोग्राम लोहे का शटर चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 259/2026 धारा 305 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उपनिरीक्षक कुलदीप कुमार यादव द्वारा की जा रही थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में चोरी एवं नकबजनी की घटनाओं के सफल अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर सीसा ढाबा के पास घेराबंदी कर अभियुक्त अवनीश चौहान को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम जमुड़ी स्थित कबाड़ की दुकान पर पहुँची, जहाँ से चोरी गया लगभग 100 किलोग्राम वजन का लोहे का शटर बरामद किया गया। मौके से कबाड़ दुकानदार खलीलुल्लाह को भी हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उनका तीन सदस्यीय संगठित गिरोह है, जिसमें अवनीश चौहान एवं श्रवण कुमार चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे तथा चोरी का सामान कबाड़ी **खलीलुल्लाह** की दुकान में छिपाकर रखते थे। बाद में ऊँचे दामों पर बेचकर प्राप्त धनराशि को आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते थे। अभियुक्त खलीलुल्लाह ने यह भी स्वीकार किया कि वह पूर्व में थाना सिधारी के चोरी के माल खरीदने के एक मामले में जेल जा चुका है।

बरामदगी- 100 किलोग्राम वजन का लोहे का शटर।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अवनीश चौहान पुत्र श्रीचन्दभान चौहान, निवासी धर्मागतपुर, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर।
2. खलीलुल्लाह पुत्र स्व. हाजी फौजदार, निवासी जमुड़ी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

(खलीलुल्लाह)

1- मु0अ0सं0- 47/2023 धारा 379/411/413/414 भादवि, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
2- मु0अ0सं0- 06/2023 धारा 34/379/411/413/414 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
3- मु0अ0सं0- 396/2022 धारा 379/411/413 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
4- मु0अ0सं0- 29/2023 धारा 34/379/411/413/414 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उपनिरीक्षक कुलदीप कुमार (चौकी प्रभारी लोहरा), कांस्टेबल कृष्ण कुमार मिश्रा, सर्वेश चौरसिया, राहुल राय, सूरज यादव, अमित कुमार चौधरी, किशन मद्धेशिया एवं अभयराज पटवा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक – 14 जुलाई, 2026

थाना – सरायमीर, जनपद – आजमगढ़

गोकशी के मुकदमे में वांछित तीन अभियुक्त गिरफ्तार

गोकशी के मुकदमें में अबतक कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार; 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया था गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं गोवध/गो-तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायमीर पुलिस को एक और सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 14.07.2026 को गोकशी एवं पुलिस मुठभेड़ की घटना में अभियुक्त मेराज उर्फ साजिद खान, अर्सलान उर्फ गालिब एवं शहजाद की गिरफ्तारी के उपरांत प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त अरहम पुत्र फैजान, आकिब पुत्र शाहिद अली एवं आयान पुत्र शाहिद अली की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

इसी क्रम में थाना सरायमीर पुलिस ने बस्ती नहर पुलिया से तीनों वांछित अभियुक्तों 1- अरहम पुत्र फैजान, 2- आकिब पुत्र शाहिद अली एवं 3- आयान पुत्र शाहिद अली को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया।
पूछताछ में अभियुक्तों ने पूर्व में गिरफ्तार सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर गोकशी की घटना में शामिल होना स्वीकार किया तथा बताया कि घटना के बाद वे गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए थे।
उक्त प्रकरण में अबतक कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चूके है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1- अरहम पुत्र फैजान, निवासी खासडीह बरईपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 20 वर्ष।
2- आकिब पुत्र शाहिद अली, निवासी नई बाजार कस्बा सरायमीर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष।
3- आयान पुत्र शाहिद अली, निवासी नई बाजार कस्बा सरायमीर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष।

पूर्व में/मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार-

4- मेराज उर्फ साजिद खान पुत्र मो. आजाद खान, निवासी हाजीपुर गोधना, थाना पवई, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 23 वर्ष (घायल/गिरफ्तार)
5- गालिब पुत्र फैजान, निवासी खासडीह बरईपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 24 वर्ष (गिरफ्तार)
6- शहजाद पुत्र फैय्याज, निवासी खासडीह बरईपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 27 वर्ष (गिरफ्तार)

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 14.07.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध गांजा रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 6 माह) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** **थाना अतरौलिया में पंजीकृत अपराध जिसमें** गांजा रखने के आरोप में 1 **आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 6 माह) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक-05.01.2002 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री रामाकान्त पाण्डेय थानाध्यक्ष अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र रामलखन यादव निवासी गजेन्द्रपटटी भेदवरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 किलो गांजा बरामद हुआ।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0-11/2002 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 14.07.2026 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -14 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **राजेन्द्र यादव पुत्र रामलखन यादव निवासी गजेन्द्र पटटी भेदवरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 6 माह) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**